भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध

Emergency Provision in the Indian Constitution

डॉ. सुभाष चन्द्राकर

1. अनुच्छेद – 352 बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल

War External attack and armed rebellion emergency arising.

1962–1965, 1971–1975 में राष्ट्रीय आपातकाल

44 वाँ संवैधानिक संशोधन

(i) आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह
Armed rebellion replaced internal unrest

(ii) केन्द्रीय मंत्रीमंडल का लिखित परामर्श
Written advice of the union cabinet

(iii) घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से स्वीकृति
Approval by special majority of parliament within a month

(iv) जीवन एवं शारीरिक स्वतन्त्रता का अधिकार बहाल रहेगा
The right to lift and Physical liberty will remain intact

(v) आपातकाल की घोषणा वादयोग्य
Declaration of emergency is justicable

2. अनुच्छेद – 356, राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर

Article 356, when the constitutional mechanism of the states are failure.

राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार से यह विश्वास हो जाये कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है।

घोषणा के प्रभाव (Effects of Such of Proclamation)

(i) राज्य का प्रशासन राज्यपाल को सौंपा जाता है

(ii) राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका बन जाता है

(iii) संसद को राज्यों के लिए राज्य सूची पर कानून निर्माण का अधिकार

(iv) राज्य के संचित निधि (Consolidated Fund) तथा आकस्मिक निधि (Contingency Fund) से व्यय का अधिकार

(v) राज्य के नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के निलंबन का अधिकार

(vi) राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता

(vii) आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक

3. अनुच्छेद – 360, आर्थिक आपातकाल

Article 360, Emergency due to Financial Crisis

- ❖ यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी राज्य में वित्तीय साख संकट में है।
- ❖ 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक

घोषणा के प्रभाव

(i) सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी का अधिकार (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी)

(ii) राज्य विधानमण्डल के धन बिल को स्वीकृति हेतु मंगाने का अधिकार

(iii) संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा में परिवर्तन का अधिकार

(iv) संघीय कार्यपालिका द्वारा राज्य कार्यपालिका को शासन संबंधी आदेश देने का अधिकार

(v) वित्तीय साख को बनाये रखने के लिए आवश्यक निर्देश देने एवं कार्यवाही का अधिकार

संकटकालीन प्रावधान की आलोचना
Criticism of the emergency provision

(i) संकटकालीन शक्तियों के दुरूपयोग की संभावना

Possibility of Misuse of Emergency Powers

(ii) मौलिक अधिकारों का स्थगन

Suspension of Fundamental Rights

(iii) राजनीतिक स्वार्थों के लिए दुरूपयोग

Misuse for Political Motives

(iv) संघीय विरोधी

Anti Federal

संकटकालीन शक्तियों का औचित्य
Justification of Emergency Powers

(i) ऐतिहासिक अनुभव
Historical Experience

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा का भार केन्द्रीय सरकार पर
National Security depends upon the federal Government

(iii) राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया है
President is a Constitutional Head

(iv) संसद की स्वीकृति
Approval of the Parliament

(iv) देश की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है
Security of Country is more Important